

-4-

आदेश
गई कार्यवाई
बारे में टिप्पणी
तारीख-सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
17.10.2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के द्वारा एक आपसी समझौता पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त समझौता पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि मौजा-गिद्धौर, थाना नं०-21 के अन्तर्गत खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-0.15 ए० म० रकबा-$0.7\frac{1}{2}$ ए० भूमि जो हमलोगों के बीच विवाद चल रहा था प्रश्नगत भूमि के संबंध में हमलोग आपस में मिलकर सुलहनामा कर लिए हैं अब हमलोगों के बीच उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। अंचल कार्यालय गिद्धौर में संधारित विविध वाद संख्या-01/2024-25 को बन्द किया जाय। दोनों पक्षों के बीच समझौता के आधार पर अभिलेख आदेश पर रखें। अभिलेख दिनांक- 27.10.25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, गिद्धौर।	

आदेश

27.10.25

अभिलेख उपस्थापित।

विविध वाद संख्या-01/2024-25 दीनानाथ दौंगी एवं अन्य बनाम कैलाश दौंगी एवं अन्य, मौजा-गिदौर, थाना नं०-21 गिदौर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख के कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। उभय पक्ष को अपने दावा पेश करने हेतु सूचित किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित हुए दोनों पक्ष के द्वारा अपना-अपना तथ्य एवं दावे रखे गए। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा पर विचारोपरान्त आदेश पारित किया जा रहा है। यह विषय राजस्व मौजा, गिदौर, थाना नं०-21, के अन्तर्गत रैयती खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-15 डी० मधे रकबा-7.5 डी० भूमि से संबंधित है प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वज के नाम से सर्वे खतियान में रैयती है।

राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि मौजा गिदौर खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-15 डी० मधे रकबा-7.5 डी० आवेदक की खतियानी भूमि है जिसका सर्वे खतियान हेमलाल महतो व ललित महतो, पिता-दिसुनाथ, महतो व खेदन महतो व महंगू महतो, पिता-फूलन महतो के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित तथ्यात्मक निवेदन लिखित रूप से दाखिल करते हुए बताया गया एवं स-विस्तार तथ्य पेश किया एवं बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान जो हमारे पूर्वज हेमराज महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है एवं लगान रसीद वर्तमान तक निर्गत है प्रश्नगत भूमि रकबा-0.04 एकड़ भूमि पर कार्तिक दौंगी, पिता-बहादुर दौंगी एवं अन्य द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है।

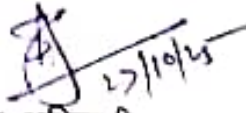
द्वितीय पक्ष कार्तिक दौंगी एवं अन्य द्वारा मौजा-गिदौर खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766 संबंधित अपने दावे में कोई कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि मेरे पूर्वज को कैसे हासिल हुआ था उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का प्रश्नगत भूमि का कागजात दस्तावेज है। सिर्फ हमलोगों का उक्त भूमि पर दखल-कब्जा है।

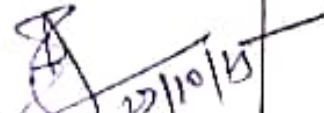
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षगण का ग्राम-गिदौर के खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-0.04 ए० भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। दखल-कब्जा के आधार पर विपक्षीगण के दावे की मान्यता देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात, राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर ग्राम-गिदौर के खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-0.04 ए० भूमि पर द्वितीय पक्ष का मामला हक हकियत से संबंधित है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
गिदौर।


अंचल अधिकारी,
गिदौर।